

**उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम।**  
**नये कानूनों में महिलाओं को प्रदान किये गये अधिकारों की भी दी गई जानकारी...।**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 13.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त उनके साथ किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उनकी सहायतार्थ नये कानूनों में महिला सम्बन्धी अपराधों के प्रति उनके अधिकारों की भी जानकारी प्रदान की गयी है साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090, 1098 की जानकारी व उनके प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया एवं साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये जाने के बारे में भी बताते हुए जागरूक किया जा रहा है।



## थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने

### अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में दिनांक 12.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित टीम के 30नि0 अनुज कुमार मय हमराह कां0 सौरभ सिंह व कां0 अजय कोरी द्वारा 01 नफर अभियुक्त सन्तोष कुशवाहा पुत्र काशीराम कुशवाहा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम मवइया थाना हरपालपुर जिला छतरपुर (म0प्र0) के कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी मे 21 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्लू फ्लैग नाजायज बरामद करते हुए ग्राम पिपरी के पास थाना महोबकंठ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 137/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

सन्तोष कुशवाहा पुत्र काशीराम कुशवाहा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम मवइया थाना हरपालपुर जिला छतरपुर (म0प्र0)

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. 30नि0 अनुज कुमार
2. कां0 सौरभ सिंह
3. कां0 अजय कोरी



## थाना चरखारी की पुलिस टीम ने

### अवैध शराब के साथ 04 नफर अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में दिनांक 12.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकांत गौड़, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा थाना स्तर पर संयुक्त टीमों का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-

उ.नि.सनय कुमार मय आबकारी निरीक्षक अर्पित गुप्ता के द्वारा 01 नफर अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र राकेश कुमार राजपूत उम्र 25 वर्ष को एक झोले में 18 क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 163/2024 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उ0नि0 राजेश कुमार के द्वारा कबूतरा डेरा सूपा से 03 नफर अभियुक्ताओं क्रमशः 1. शक्करवती 2. रूपा 3. ओमवती के कब्जे से (05-05) लीटर कच्ची देशी शराब महुआ कुल 15 लीटर कच्ची देशी शराब महुआ नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 164/2024, मु0अ0सं0 165/2024 तथा मु0अ0सं0 166/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक कार्यवाही की गयी।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.आबकारी निरीक्षक अर्पित गुप्ता
- 2.उ.नि.सनय कुमार
- 3.उ0नि0 राजेश कुमार
- 4.हे0का0 संदीप कुमार
- 5.का.वीरेश्वर दत्त मिश्रा
- 6.का.जयदीप पटेल
- 7.का0 प्रशांत वर्मा
- 8.म0का0 नेहा

### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.शैलेन्द्र कुमार राजपूत पुत्र राकेश कुमार राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी मु0 ज्येन्द्र नगर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा
- 2.शक्करवती पत्नी ज्ञान सिंह उम्र करीब 35 वर्ष
3. रूपा पत्नी बाबू कबूतरा उम्र करीब 38 वर्ष
4. ओमवती पत्नी मंगल कबूतरा उम्र करीब 25 वर्ष निवासीगण ग्राम कबूतरा डेरा सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा



थाना समाधान दिवस के अवसर पर सुनी गयी फरियादियों की समस्यायें, प्राप्त हुयी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आज दिनांक 13.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर जनसुनवाई की गयी इस दौरान फरियादियों से उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया जिसके क्रम में उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करते हुये मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए ।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना पनवाड़ी में पहुंचकर क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ की उपस्थिति में जनसुनवाई करते हुये पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त हुयी सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए जिससे आमजनमानस को बिना वजह परेशान होना पड़े ।

जनपदीय पुलिस व प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल / थाना पर थाना समाधान दिवस आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए उनके त्वरित व विधिक निस्तारण हेतु संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

